न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 10.02.2020

प्र0स0 132/19 ता0रजु. 26.11.19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट

सरकार

बनाम

श्योले पुत्र रामोली

ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है।

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का रूपरा मलुका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। रकवा 9.10 हैक्ट. कि ग्राम अटौला के खसरा नम्बर 622 पर सम्वत 2076 में श्री श्योले पुत्र रामोली, गुजर किस्म भूमि चारागाह 0.08, 0.08 हैक्ट. अतिक्रमण कर लिया है। नि. अटौला तह0 बयाना ने

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावलो का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पंहुचता है। कि अप्रार्थी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 622 रकवा 0.08, 0.08 हैक्ट. वाके ग्राम अटौला से बेदखल किया जाता है। लगान 0.64 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 32/- रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलानी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकनील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक .... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना